न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं0– 23/2025
आदेश दिनांक : 15.10.2025
जी.सी.एम.एस. : 45/2025

1. विनोदी देवी धर्मपत्नी कमल किशोर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.........प्रार्थीनी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र स्व.उदाराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री जगवारी गोदारा, श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट प्रार्थीनी।
2 श्री संजय कुमार कुशवाहा एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 01।
4 अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से।

–: आदेश :–

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी ने खेत खसरा संख्या 2121/627 क्षेत्रफल 1.6438 हैक्टेयर कृषि भूमि बंशीधर के नाम से स्थित है उसमें से साथ पेश किए जाने वाले नक्शा जो की माननीय अदालतवाला में एक दावा नम्बर 34/2023 अपने विक्रय–पत्र दिनांकित 27.02.2023 बंशीधर से खरीद सुदा कुल हिस्सा 0.0371 हैक्टेयर भूमि को जो पूर्वी की तरफ स्थित हैं वो वादीनी के खरीद करने के कारण उसके हिस्से में आया जिसका विभाजन का दावा अदालतवाला ने दिनांक 22.01.2025 को डिक्री किया तथा तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्देशित किया गया कि वादीनी विनोदी देवी को नक्शों में दिखाए नीले रंग से कृषी भूमि को अलग किया जा कर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर अलग से खाते में अंकन किया जावे।

यह कि माननीय अदालतवाला के द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22.01.2025 के अनुसार जो नक्शा पटवारी हल्का सालासर ने दिया जो 2998/2121 बतलाया जाकर नया खसरा कायम करते हुए उसमें विनोदी देवी को खातेदार बना दिया तथा जमाबन्दी अलग कायम की जाकर अधिकार प्रार्थीनी को दे दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

यह कि प्रार्थीनी की कृषी भूमि खसरा नं. 2998/2121 में 0.0371 हैक्टेयर भूमि की सीमाओं पर अपना अलग से सीमाज्ञान करवार पत्थरगढ़ी करवाकर मौके पर अपना हिस्सा जो कि तहसीलदार ने बताया है उसके अनुरूप करवाना चाहती है।

यह कि प्रार्थीनी की कृषी भूमि खसरा नं. 2998/2121 कुल हिस्सा 0.0371 हैक्टेयर जो कि अदालतवाला के आदेश दिनांकित 22.01.2025 के अनुसार जो खरीद सुदा कृषी भूमि अलग किया गया हैं ऐसा लगता है उक्त भूमि में कुछ हिस्सा बंशीधर अप्रार्थी के हिस्से में दबा हुआ है। प्रार्थीनी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने का कहने पर अप्रार्थी करवाना नहीं चाहा तथा सीमाज्ञान नहीं करने देते हैं इसलिए प्रार्थीनी अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है।

यह कि प्रार्थीनी के द्वारा अपनी कृषी भूमि खसरा नं. 2298/2121 तादादी 0.0371 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिया लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने कृषी भूमि का सीमाज्ञान नहीं करने दिया इसलिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह कि प्रार्थीनी ने अपने कृषी भूमि को जो कि अदालतवाला के द्वारा अपने निर्णय के अनुसार प्रार्थीनी का अलग हिस्सा दिया गया तथा अलग जमाबंदी में नाम अलग से दर्ज हो गया तब अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त कृषी भूमि को पत्थरगढ़ी करवाने हेतु कई बार कहलवाया क्यों कि अप्रार्थी संख्या 01 आगे बढ़कर कब्जा किया जाना जाहिर हो रहा हैं जिसके लिए सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो और आपस में झगड़ा नहीं हो परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने सीमाज्ञान करने से इन्कार कर दिया आखिरकार दिनांक 08.02.2025 को बैमुकाम सालासर में मानने से साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही तारीख प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने कारण प्रार्थीनी को खातेदारी कब्जे की कृषी भूमि होने से प्रार्थीनी को आधार प्राप्त है।

यह है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी की कृषी भूमि रोही मोजा सालासर में होने से प्रार्थीनी को प्रार्थना–पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा संख्या 2121/627 की कुल तादादी 1.6438 हैक्टेयर में से नीले रंग से दिखाई गई पटवारी के द्वारा दिनांक 06.02.2025 को खसरा नम्बर नया 2998/2121 तादादी 0.0371 हैक्टेयर वाके रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की पैमाइश हल्का पटवारी से करवाई जाकर प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 2998/2121 तादादी 0.0371 हैक्टेयर वाके रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की सीमा जंहा कायम होती हैं वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने प्रकरण में राजकीय पक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपति नहीं होने का अंकन आदेशिका पर किया। प्रार्थी रामलाल व नन्दलाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहकर बहस करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया। पर्याप्त समय दिये जाने पर भी प्रार्थी रामलाल व नन्दलाल असालतन व वकालनत न्यायालय में हाजिर नहीं आये। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया। पत्रावली में बहस अंतिम हेतु तिथि निर्धारित की गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 2998/2121 तादादी 0.0371 हैक्टेयर वाके रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की भूमि की पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का कथन किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने इकबाल जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सुसगंत विधि का अध्ययन किया गया। चूकि पक्षकारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद है तथा प्रार्थीनी अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का सींमाकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने की अधिकारीणी है, जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 2998/2121 तादादी 0.0371 हैक्टेयर वाके रोही सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की भूमि का विधिवत शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार पैमाइश करवाऐं एवं भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़